राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—1926/2023

रणवीर सिंह —अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.08.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस. राघव, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कोटा ग्रामीण, कोटा में कार्यरत था, जिन्हें निलम्बित किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थीगण को निलम्बन से बहाल किये जाने के आदेश पारित किये गए हैं एवं अपीलार्थी को बहाली पर पूर्व में जो मुख्यालय परिवर्तन कर जिला बांरा में किया गया था। बहाली के पश्चात अपीलार्थी को बांरा में ही रखा गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को बहाली के पश्चात पूर्व का जिला कोटा में ही पदस्थापित रखा जाये। अपीलार्थी का बहाली पर जिला परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी को न्यायानुसार स्थानांतरित नहीं किया गया है।
2. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया।
3. अपीलार्थीग को पूर्व में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/पुलिस स्वयं के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज होने के कारण निलम्बित किया गया था। पुलिस निदेशालय द्वारा अपीलार्थी को बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी का मुख्यालय परिवर्तन अपीलार्थी के विरूद्ध लंबित मामले को देखते हुए किया गया है। बहाली के बाद ही मुख्यालय परिवर्तित रखा है, जिसमें कोई नियम—विरूद्धता अथवा दुर्भावना प्रकट नहीं होती है।
4. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)

`